

कार्यालय जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)
विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)
(VB-G RAM G)
! विज्ञापन !

क्रमांक / 3118 / VB-G RAM G / जि.पं. / 2026-27

रायपुर, दिनांक 24/9/26

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. ESTB/27560/2026-P&RD नवा रायपुर, दिनांक 05.08.2026 तथा आयुक्त, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) के पत्र क्र. I/608889/2026 वि.-7 / स्था. / VB-G RAM G नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31.08.2026 के निर्देशानुसार जनपद पंचायत स्तर पर अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार एक वर्ष की संविदा फरवरी 2027 तक (एकमुश्त वेतन) नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, विशेष योग्यता सहित वांछित अहर्ताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 15.10.2026 सायं 5.30 बजे तक सम्पूर्ण योग्यता एवं अनुभव/अनापत्ति आदि प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं -

क्र.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की सं.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व
1.	लेखापाल	23,350 (एकमुश्त)	04	03	—	01 (बैकलाग)	—

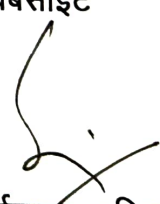
शैक्षणिक योग्यता :-

न्यूनतम 55% अंक से बी. काम. परीक्षा उत्तीर्ण हो।
(अ.ज.जा. के लिए 50%)

चयन प्रक्रिया :-

1. हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए 20 अंक।
2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंको का Weightage देते हुए 50 अंक।
3. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15 अंक।
4. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य का अनुभव न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 5 अंक।
2 से 5 वर्ष तक का अनुभव 10 अंक।
5 वर्ष से अधिक का अनुभव 15 अंक।

आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम एवं शर्तें जिला पंचायत रायपुर के सूचना पटल एवं वेबसाइट www.raipur.gov.in में देख सकते हैं।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, रायपुर

- 25.10.26
1. उक्त रिक्त पद पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में दिनांक 25.10.2026 से दिनांक 15.11.2026 तक स्वीकार किये जावेंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज (स्व-प्रमाणित) की प्रति सहित पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक2026 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
 2. आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होंगे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की छायाप्रति जो स्व प्रमाणित हो संलग्न करें। वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा।
 3. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का नवीनतम अभिप्रमाणित फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
 4. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जायेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
 5. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।
 6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में नियुक्ति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 7. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
 8. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
 9. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31.12.2012 एवं ज्ञापन क्र. No. RULE/644/2025-GAD-3 नवा रायपुर दिनांक 16.09.2026 के अनुसार शासकीय सेवा में कार्यरत शासकीय सेवक, निगम/मंडल/संविदा कर्मी/नगर सैनिकों के कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
 11. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. एफ 3-2/2015/1-3 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक 18.01.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों के लिये अधिकतम 05 वर्ष की छूट होगी। किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
 12. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
 13. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
 14. सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान आदि की पात्रता नहीं होगी।
 15. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं बिना कारण बताएं कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
 16. संविदा नियुक्ति 28 फरवरी 2027 तक के लिये होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार के आधार पर पुनः 01 वर्ष हेतु बढ़ायी जा सकती है।

17. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 01 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
18. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे।
19. दावा आपत्ति में केवल लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
20. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा हेतु प्रवर्गवार 1:10 में अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा। जो अभ्यर्थी कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होगा उसकी अभ्यर्थता स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
21. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
22. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
23. नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
24. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची आदि की स्व प्रमाणित छायाप्रति सहित उम्मीदवार नीचे दिये जा रहे प्रारूप में आवेदन करे, जो दिनांक2026 को कार्यालयीन समय पर सायं 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर" के पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग आवश्यक रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से सीधे, ई-मेल अथवा अन्य ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेगे।
25. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत के सूचना पटल एवं जिले के वेब साईट <https://raipur.gov.in> पर भर्ती से संबंधित जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24/09/26

पृ. क्रमांक/3118/VB-G RAM G / जि.पं. / 2026-27
प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. आयुक्त विकसित भारत - जी राम जी विकास भवन, तृतीय तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. कलेक्टर जिला रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
05. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर जिले के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
06. जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित।
07. अध्यक्ष/सचिव/सदस्य जिला स्तरीय चयन समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)